फार्म - छः

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम 17 देखें]

परचेजिंग एजेण्ट द्वारा प्रिंसिपल के लिए वैट गुड्स की खरीद के संबंध में दिया जाने वाला प्रमाण पत्र

टैक्स पीरियड समाप्त होने की तिथि : d d m m y y y y

करनिर्धारण वर्ष : y y y y - y y

परचेजिंग एजेण्ट का नाम व पता																						
टिन												प्रभावी तिथि			d	d	m	m	y	y	y	y

प्रिंसिपल का नाम व पता																						
टिन												प्रभावी तिथि			d	d	m	m	y	y	y	y

वस्तु	मात्रा / वजन / माप	खरीद की धनराशि	वैट की दर	वैट की धनराशि	कुल धनराशि (3+5)	जमा कर की धनराशि	ट्रेजरी चालान	
							संख्या	दिनांक
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
			1%					
			4%					
			12.5%					
योग								

मैं ----------, (प्रास्थिति)----------, प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त दिये गये समस्त विवरण मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर
अधिकृत व्यक्ति का नाम और प्रास्थिति
फर्म / परचेजिंग एजेण्ट की मुहर
दिनांक

नोट: इस प्रमाण पत्र पर उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32(6) के अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही हस्ताक्षर किया जाएगा।